2 अप्रैल, 2021

कार्यकारी आदेश 2021-06

#### कार्यकारी आदेश 2021-06 (COVID-19 कार्यकारी आदेश सं. 76)

जबिक, मार्च 2020 की शुरुआत से ही, इलिनॉय ने एक ऐसी वैश्विक-महामारी का सामना किया है जो असाधारण रूप से बीमारी एवं जनहानि का कारण बनी है, तथा 1,240,000 से भी अधिक लोगों को संक्रमित कर चुकी है और इसने 21,300 निवासियों की जान ले ली है; और,

जबिक, जैसे इलिनॉय कोरोनावायरस रोग 2019 (COVID-19) द्वारा उत्पन्न सार्वजिनक स्वास्थ्य आपदा का सामना करता है और इसके अनुरूप स्वयं को ढ़ालता है, यह रोग एक बिलकुल नया, गंभीर, तीव्र श्वसन रोग है जो श्वसन संचरण के माध्यम से तेज़ी से फैलता है, और अभी तक इसका कोई प्रभावी उपचार या टीका नहीं मिला है और इससे संपूर्ण राज्य के निवासियों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, प्रथम उत्तरदाताओं और सरकारों पर जो भारी दबाव पड़ा है वह अभूतपूर्व है; और,

जबिक, हमेशा विशेष रूप से किसी सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के दौरान, इलिनॉय के निवासियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का संरक्षण करना राज्य सरकार के सबसे महत्त्वपूर्ण कार्यों में से एक होता है; और,

जबिक, सार्वजिनक स्वास्थ्य शोध एवं मार्गदर्शन जिन सार्वजिनक स्थानों में सामाजिक दूरी के उपाय बनाए रखना कठिन हो वहाँ चेहरे पर कपड़े के कवर पहनने की आवश्यकता और प्रभावशीलता की ओर संकेत करता है, और यह संकेत देता है कि बाहर खुले में रोग फैलने का जोख़िम, भवनों के अंदर रोग फैलने के जोख़िम की तुलना में कम है; और,

जबिक, सार्वजिनक स्वास्थ्य मार्गदर्शन सलाह देता है कि उन लोगों के बीच कम से कम शारीरिक संपर्क हो जो एक ही घर में नहीं रहते हैं, यह COVID-19 के फैलाव को धीमा करने के लिए महत्त्वपूर्ण है; और,

जबिक, जैसे राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) के दौरान COVID-19 इलिनॉय में फैल चुका है, और संपूर्ण राज्य में आपदा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां बदल चुकी हैं एवं लगातार बदल रही हैं, तो ऐसे में अगले कुछ माह में वाइरस का प्रसार का मार्ग क्या होगा इसका स्पष्ट पूर्वानुमान लगाना अत्यंत कठिन हो गया है; और,

जबिक, 21300 से भी अधिक इलिनॉय वासियों को दुखद मृत्यु देने एवं दिसयों हज़ारों और निवासियों के शारीरिक स्वास्थ्य को तबाह करने के अतिरिक्त, COVID-19 ने व्यापक आर्थिक हानि भी की है और यह अभी-भी लगातार पूरे राष्ट्र एवं राज्य में बड़ी संख्या में व्यक्तियों एवं व्यवसायों की आर्थिक खुशहाली को ख़तरे में डाल रहा है; और,

जबिक, राज्य के कई कार्यकारी अभिकरणों ने अपने सीमित संसाधनों को COVID-19 वैश्विक-महामारी की जारी प्रतिक्रिया पर केंद्रित किया है; और,

जबिक, COVID-19 वैश्विक-महामारी के कारण इलिनॉय कृषि विभाग (Illinois Department of Agriculture, (IDOA)) के लिए मांस व पोल्ट्री इकाइयों और पशुधन प्रबंधन इकाइयों के नियमन एवं पर्यवेक्षण के माध्यम से राज्य की खाद्यापूर्ति शृंखला पर प्रकोप के प्रभाव को संभालना आवश्यक हो गया है; और

जबकि, COVID-19 वैश्विक-महामारी के चलते पशुधन बाज़ार में आए व्यवधान के कारण IDOA के लिए मृत पशु निपटान अधिनियम (Dead Animal Disposal Act) के अपने पर्यवेक्षण एवं नियमन के माध्यम से सुरिक्षत एवं पर्यावरणीय पशु निपटान चिंताओं को हल करने के लिए अपने संसाधनों को पशुधन स्वामियों एवं उत्पादकों के साथ कार्य करने पर केंद्रित करना आवश्यक हो गया है; और

जबिक, IDOA ऐसे कई अन्य उद्योगों का नियमन एवं उनकी जांच-पड़ताल करता है जो COVID-19 वैश्विक-महामारी से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं, जिनमें पीड़कनाशी (पेस्टिसाइड) लगाने वाले, पशु आश्रय, पालतू पशुओं की दुकानें, और गैस स्टेशन शामिल हैं पर वे इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, और इन उद्योगों के सतत व उचित नियमन हेतु IDOA के लिए यह आवश्यक है कि वह दूरस्थ जांच-पड़ताल एवं प्रशिक्षण संचालित करने की नई कार्यविधियों की रचना करने में अतिरिक्त समय व संसाधन लगाए; और

जबकि, IDOA द्वारा विनियमित उद्योगों पर COVID-19 वैश्विक-महामारी के हानिकारक प्रभाव के कारण IDOA के लिए व्यवसाय व्यवधान अनुदान कार्यक्रम (Business Interruption Grant Program) के समयबद्ध कार्यान्वयन के आयोजन और प्रबंधन में अतिरिक्त समय एवं संसाधनों का निवेश आवश्यक हो गया है; और

जबिक, 2 अप्रैल, 2021 को, COVID-19 के जारी प्रसार के अपेक्षित रूप से जारी रहने, और राज्य भर के लोगों द्वारा आगामी महीनों में जो लगातार हो रहे स्वास्थ्य संबंधी एवं आर्थिक प्रभाव महसूस किए जाएंगे उनपर विचार करते हुए, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था; और,

जबिक, ऊपर वर्णित महामारी की आपातस्थिति और सार्वजिनक स्वास्थ्य आपातस्थिति की प्रतिक्रिया में, मैं सरकारी आदेशों 2020-03, 2020-04, 2020-07, 2020-08, 2020-09, 2020-11, 2020-12, 2020-15, 2020-16, 2020-17, 2020-20, 2020-21, 2020-23, 2020-24, 2020-25, 2020-26, 2020-27, 2020-29, 2020-30, 2020-34, 2020-35, 2020-36, 2020-40, 2020-42, 2020-45, 2020-47, 2020-50, 2020-57, 2020-68, 2020-72, और 2021-03 को पुनः जारी करना आवश्यक पाता हूं और उन सरकारी आदेशों के जबिक खंडों को एतद्दवारा सम्मिलित करता हूं;

**इसलिए**, इलिनॉय राज्य के गवर्नर के रूप में मुझ में निहित शक्तियों, इलिनॉय के संविधान और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम, (Illinois Emergency Management Agency Act) 20 ILCS 3305 की धारा 7 (1), 7 (2), 7 (3), 7 (8), 7 (9), और 7 (12) के अनुसार और लोक स्वास्थ्य कानूनों की शिक्तयों के अनुरूप, मैं 2 अप्रैल, 2021 से प्रभावी निम्नलिखित आदेश दे रहा हूं:

## भाग 1: कार्यकारी आदेशों का पुनः जारी करना।

सरकारी आदेश 2020-03, 2020-04, 2020-07, 2020-08, 2020-09, 2020-11, 2020-12, 2020-15, 2020-16, 2020-17, 2020-20, 2020-21, 2020-23, 2020-24, 2020-25, 2020-26, 2020-27, 2020-29, 2020-30, 2020-34, 2020-35, 2020-36, 2020-40, 2020-42, 2020-45, 2020-47, 2020-50, 2020-57, 2020-68, 2020-72, और 2021-03 को निम्नवत एतद्दवारा पुनः जारी किया जाता है:

#### कार्यकारी आदेश 2020-04 (जेम्स आर. थॉम्पसन (James R. Thompson) केंद्र की बंदी; राज्य कर्मचारियों के लिए रुग्णता अवकाश आवश्यकता का अधित्याग):

कार्यकारी आदेश 2020-04 के अनुभागों 2 और 3 को पुनः जारी किया जाता है एवं 1 मई, 2021 तक बढ़ाया जाता है। अनुभाग 2 में शामिल कुछ भी केंद्रीय प्रबंधन सेवाएं विभाग (Department of Central Management Services) को राज्य कर्मचारियों, राजकीय कार्यों में भाग लेने वाली आम जनता, और वे जनसामान्य जो व्यवसायों तथा फूड कोर्ट के नियमित ग्राहक हैं, के लिए जेम्स आर. थॉम्पसन केंद्र में प्रवेश और निकास के विशिष्ट बिंदु निर्धारित करने तथा यातायात नियंत्रित करने से वर्जित नहीं करता है।

#### कार्यकारी आदेश 2020-07 (वैयक्तिक बैठक की आवश्यकताएँ):

कार्यकारी आदेश 2020-33 और कार्यकारी आदेश 2020-44 द्वारा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-07 के अनुभाग 6 को फिर से जारी और 1 मई, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

#### कार्यकारी आदेश 2020-08 (राज्य संचालन सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट ऑपरेशंस):

सरकारी आदेश 2020-39 और सरकारी आदेश 2020-44 द्वारा संशोधित सरकारी आदेश 2020-08 के अनुभाग 2, 3, 4 और 5 को **1 मई, 2021** तक फिर से जारी और विस्तारित किया गया है।

कार्यकारी आदेश 2020-08 को निम्नवत भी संशोधित और पुनरीक्षित किया जाता है: अनुभाग 2. इलिनोइस सरकारी नैतिकता अधिनियम, 5 ILCS 420 / 4A के अनुन्छेद 4A, और कार्यकारी आदेश 2015-09 की धारा IV के प्रावधान, आर्थिक हितों के बयानों को दाखिल करने के लिए प्रदान करते हैं; खुलासे गुबर्नटोरियल डिजास्टर उद्घोषणा की अवधि के दौरान और इसकी समाप्ति के बाद तीस दिनों के लिए निलंबित होते हैं।

## कार्यकारी आदेश २०२०-०९ (दूरस्वास्थ्य (टेलिहेल्थ)):

कार्यकारी आदेश 2020-52 द्वारा यथा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-09 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **1 मई, 2021** तक बढाया जाता है।

## कार्यकारी आदेश 2020-11 (इलिनॉय सुधार विभाग (Illinois Department of Corrections) अधिसूचना अवधि):

कार्यकारी आदेश 2020-11 का अनुभाग 4 पुनः जारी किया जाता है एवं **1 मई, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

#### कार्यकारी आदेश 2020-12 (स्वास्थ्य देखभाल कर्मी पृष्ठभूमि जांच; इलिनॉय किशोर न्याय विभाग (Illinois Department of Juvenile Justice) अधिसूचना अवधि:

कार्यकारी आदेश 2020-12 के अनुभागों 1 और 3 को पुनः जारी किया जाता है एवं **1 मई, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

# कार्यकारी आदेश 2020-15 (इलिनॉय स्कूल संहिता (Illinois School Code) के उपबंधों का स्थगन):

कार्यकारी आदेश 2020-15 के अनुभागों 5, 6, 7, 8, और 9 को पुनः जारी किया जाता है और **1 मई, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

## कार्यकारी आदेश 2020-16 (सुरक्षा सेवाओं के लिए आवश्यक कक्षा प्रशिक्षण का स्थगन):

कार्यकारी आदेश 2020-16 का अनुभाग 2 पुनः जारी किया जाता है एवं **1 मई, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

# कार्यकारी आदेश 2020-03 एवं 2020-17 (भांग (केनाबिस) संबंधी समय-सीमाएं एवं आवेदन):

कार्यकारी आदेश 2020-18 द्वारा यथा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-03 एवं 2020-17 पुनः जारी किए जाते हैं और कार्यकारी आदेश 2020-18 द्वारा निर्दिष्ट किए अनुसार प्रभावी रहेंगे।

## कार्यकारी आदेश 2020-20 (सार्वजनिक सहायता आवश्यकताएँ):

कार्यकारी आदेश 2020-20 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं 1 **मई, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

## कार्यकारी आदेश 2020-21 (इलिनॉय सुधार विभाग (Ilinois Department of Corrections) के कैदियों का थोड़े दिनों का अवकाश):

कार्यकारी आदेश 2020-21 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **1 मई, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

#### कार्यकारी आदेश 2020-23 (आपदा प्रतिक्रिया में संलग्न लाइसेंसशुदा पेशेवरों के लिए इलिनॉय वित्तीय एवं पेशेवर नियमन विभाग (Illinois Department of Financial and Professional Regulation) द्वारा की गई कार्रवाइयां):

कार्यकारी आदेश 2020-23 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **1 मई, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-24 (इलिनॉय मानव सेवाएं विभाग विधि चिकित्साशास्त्र उपचार कार्यक्रम (Illinois Department of Human Services Forensic Treatment Program); इलिनॉय मानव सेवाएं विभाग (Illinois Department of Human Services) के कर्मचारियों की जांच पड़ताल:

कार्यकारी आदेश 2020-24 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **1 मई, 2021** तक बढाया जाता है।

## कार्यकारी आदेश 2020-25 (ऋणानुबंध (गारनिशमेंट) एवं वेतन कटौतियां):

कार्यकारी आदेश 2020-55 द्वारा यथा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-25 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 1 **मई**, **2021** तक बढ़ाया जाता है।

#### कार्यकारी आदेश 2020-26 (अस्पताल की क्षमता):

कार्यकारी आदेश 2020-26 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं 1 **मई**, **2021** तक बढ़ाया जाता है।

#### कार्यकारी आदेश 2020-27 (COVID-19 परीक्षण में पॉज़िटिव पाए गए शव):

कार्यकारी आदेश 2020-27 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं 1 **मई**, **2021** तक बढ़ाया जाता है।

#### कार्यकारी आदेश 2020-29 (पेशेवर बीमा लाइसेंसों का वैयक्तिक रूप से शिक्षण या परीक्षाएँ):

कार्यकारी आदेश 2020-29 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **1 मई, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

## कार्यकारी आदेश 2020-30 (कालातीत (एक्सपायर) हो चुके दूतावासीय (कौंसुलर) पहचान दस्तावेज़; इलिनॉय मानवाधिकार आयोग (Illinois Human Rights Commission) के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग):

कार्यकारी आदेश 2020-30 के अनुभागों 1, 4, 5 और 6 को पुनः जारी किया जाता है एवं **1 मई, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

## कार्यकारी आदेश 2020-34 (भांग (केनाबिस) संबंधी आवश्यकताएँ):

कार्यकारी आदेश 2020-34 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं 1 **मई, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

## कार्यकारी आदेश 2020-35 (इलिनॉय विभाग सार्वजनिक स्वास्थ्य नियामक गतिविधियां, (Illinois Department of Public Health regulatory activities):

कार्यकारी आदेश 2020-35 के अनुभागों 14, 15, 16 और 17 को पुनः जारी किया जाता है एवं **1 मई**, **2021** तक बढ़ाया जाता है।

## कार्यकारी आदेश 2020-36 (विवाह अनुज्ञाएं (लाइसेंसिज़)):

कार्यकारी आदेश 2020-36 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **1 मई, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

## कार्यकारी आदेश 2020-40 (बाल श्रम कानून):

कार्यकारी आदेश 2020-40 के अनुभागों 2 और 4 को पुनः जारी किया जाता है एवं 1 **मई, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

#### कार्यकारी आदेश 2020-42 (राजकीय मेले):

कार्यकारी आदेश 2020-42 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **1 मई, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

#### कार्यकारी आदेश 2020-45 भांग (केनाबिस) के लाइसेंस):

कार्यकारी आदेश 2020-45 अपनी संपूर्णता में फिर से जारी किया जाता है और कार्यकारी आदेश 2020-45 में निर्दिष्ट किया गए के अनुसार प्रभावशील रहेगा।

## कार्यकारी आदेश 2020-47 (प्रीK-12 स्कूलों में वैयक्तिव रूप से शिक्षण):

कार्यकारी आदेश 2020-47 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **1 मई, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

# कार्यकारी आदेश 2020-50 (काउंटी जेलों से इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शंस में स्थानांतरण फिर से शुरू करना):

कार्यकारी आदेश 2020-50 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **1 मई, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

## कार्यकारी आदेश 2020-57 (भांग (केनाबिस) के पहचान पत्र):

कार्यकारी आदेश 2020-57 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **1 मई, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

## कार्यकारी आदेश 2020-68 (भांग (केनाबिस) रजिस्ट्री पहचान पत्र का नवीनीकरण):

कार्यकारी आदेश 2021-05 द्वारा यथा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-68 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **1 मई, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

## कार्यकारी आदेश २०२०-७२ (आवासीय निष्कासन स्थगन):

कार्यकारी आदेश 2020-74, कार्यकारी आदेश 2021-01 और कार्यकारी आदेश 2021-05 द्वारा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-72 को इसकी संपूर्णता में फिर से जारी किया गया है और **1 मई**, **2021** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-72 को निम्नवत भी संशोधित और पुनरीक्षित किया जाता है:

अनुभाग 5. यदि इस सरकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या उपयोग को किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी अन्य प्रावधान या इस सरकारी आदेश के लागू करने को प्रभावित नहीं करती है, जिसे बिना अवैध प्रावधान के या आवेदन के प्रभावी किया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस सरकारी आदेश के प्रावधानों को पृथक्करणीय घोषित किया गया है। <u>यह कार्यकारी आदेश इस समझ के साथ दर्ज किया गया है कि न्यायिक शाखा के पास न्यायिक कार्यवाही में आदेश के अनुप्रयोग को नियंत्रित करने वाले उचित प्रक्रियात्मक उपायों को अपनाने का अधिकार है।</u>

## कार्यकारी आदेश 2021-03 (क्षेत्रीय शमन मेट्रिक्स):

कार्यकारी आदेश 2021-03 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **1 मई, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

भाग 2: संचय खंड (सेविंग्स क्लौज़)। यदि इस सरकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या उपयोग को किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी अन्य प्रावधान या इस सरकारी आदेश के लागू करने को प्रभावित नहीं करती है, जिसे बिना अवैध प्रावधान के या आवेदन के प्रभावी किया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस सरकारी आदेश के प्रावधानों को पृथक्करणीय घोषित किया गया है।

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker),

## राज्यपाल (गवर्नर)

राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा जारी २ अप्रैल, २०२१ राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) द्वारा दायर २ अप्रैल, २०२१